संख्या-459/2018/591/22-2-2018-17(92)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेश पुत्र श्री रामजीलाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15196/पर-2/सलाहकार समिति/(एम 17.11.2016) दिनांक 17.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेश पुत्र श्री रामजीलाल, जो-ग्राम-बहादुरपुर, थाना-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। घटना की रात्रि दिनांक 04/05.11.1999 को वादी सबीरा का पति सईद व उसका बेटा मुबीन रात को बरामदा में सो रहे थे। उसी समय अभियुक्त सुरेश अपने हाथ में गडासा लेकर आया और सईद मुबीन व सबीरा पर जानलेवा हमला कर दिया जिसमें सईद की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, मुबीन व सबीरा घायल हो गये। घायल मुबीन को अस्पताल ले जाया गया जहां पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-393/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 30.05.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2003 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.02.2018 तक 15 वर्ष 08 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 06 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की स्पष्ट संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की अस्पष्ट संस्तुति किये जाने आदि के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी सुरेश पुत्र श्री रामजीलाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुरेश (बन्दी संख्या-7221) पुत्र श्री रामजीलाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-459/2018/591/(1)/22-2-2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।